न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

1. F.S.S.Act Case No. 37/2017

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. तरुण दास पुत्र श्री अनिल दास, जाति- ईसाई, निवासी- मकान नम्बर जे-5 सी, रातानाडा, सुभाष कॉलोनी, जोधपुर, जिला- जोधपुर
(मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स कामा होटल्स लिमिटेड, अधर देवी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

2. रुस्तम जहांगीर कामा, कामा कोर्ट-Next to Cama Hotel, Khanpur, Ahmedabad
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं निदेशक)

फर्मः- मैसर्स कामा होटल्स लिमिटेड, अधर देवी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

3. मेहरु जहांगीर कामा, कामा कोर्ट-Next to Cama Hotel, Khanpur, Ahmedabad
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं निदेशक)

फर्मः- मैसर्स कामा होटल्स लिमिटेड, अधर देवी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

4. विनोद कुमार मोतीराम देवानी, 313/ए, सिंधी कॉलोनी, सरदार नगर, अहमदाबाद
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- विनोद एजेन्सी, गोदाम नं.228 गुजरात जिनिंग मिल कम्पाउण्ड, प्रेम दरवाजा, अहमदाबाद

5. संगीता एस. सुखाडिया, 31, दीपमाला बंगला, जगदीश सोसायटी के पास, केडिला लेब रोड, घोडासर, अमदाबाद
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- जालाराम सेल्स एजेन्सी, 31, दीपमाला बंगला, जगदीश सोसायटी के पास, केडिला लेब रोड, घोडासर, अमदाबाद

6. रुखसाना अहमद भाई मंसूरी, Opposite Bhagubhi Vabda, Near Dhalagarvad, Ahmedabad-380001
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- समीर एजेंसी, Plot no.B-5, Sur No.90, Opp. Shadeka Park, Nr. Zamzam Duplex Ni Gali, B/H Kenal Sarkhej Road, Ahmedabad

7. गांधी फरीदा मोहम्मद हुसैन पत्नि अली हुसैन हुसैन भाई घोघारी, शॉप नं.9, महालक्ष्मी एस्टेट सारखेज, भाग्योदय होटल के सामने, सानंद रोड, सारखेज, अहमदाबाद (खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- Perfect Marketing, शॉप नं.9, महालक्ष्मी एस्टेट सारखेज, भाग्योदय होटल के सामने, सानंद रोड, सारखेज, अहमदाबाद

8. Vilash R. Jadtap, Mala`s Fruit Products, 25/1A, Bhose Village, Panchgani-412805, Maharashtra (नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्मः- Mala`s Fruit Products, Head Office:25/1A, Bhose Village, Panchgani-4123805, Maharashtra

........पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

9. Mala`s Fruit Products, Head Office:25/1A, Bhose Village, Panchgani-4123805, Maharashtra जरिये नॉमिनी:-
Vilash R. Jadtap, Mala`s Fruit Products, 25/1A, Bhose Village, Panchgani-412805, Maharashtra

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दीपक बोडाना, प्रतिवादी संख्या- 1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 की ओर से
3. श्री गौरव सक्सेना, टेकनिकल हेड, निर्मातरा फर्म Mala`s Fruit Products

-: निर्णय :- दिनांक 10 अगस्त, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.7.2015 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म कामा होटल्स लिमिटेड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर मैनेजर के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति तरुण दास पुत्र श्री अनिल दास, जाति- ईसाई, निवासी- मकान नं. जे 5 सी, रातानाडा, सुभाष कॉलोनी, जोधपुर है एवं मैसर्स कामा होटल्स मिमिटेड, अधर देवी मार्ग, माउन्ट आबू पर मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है तथा आम एवं खसर जनता के उपयोग हेतु Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का उपयोग ग्राहक की मांग पर Preperation तैयार कराके ग्राहको को विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम व खास जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के स्टोर की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 एम. एल. पैक्ड बोतलों में से Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 एम.एल. की 4 पैक्ड बोतलें खरीदी तथा उसकी कीमत रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं.5ए न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-417 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तरुणदास ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 17.7.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 17.7.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार मैनेजर व खाद्य कारोबारकर्ता तरुणदास से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का नमूना S-417 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता तरुणदास एवं निर्माता कम्पनी को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु संबंधित ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा-52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। ...पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक बोडाना उपस्थित हुये व अभियुक्त संख्या-1 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त संख्या- 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 8 व 9 की ओर से प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 13.3.2018 को Mala`s Fruit Products के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलेश शर्मा, ए.एस.एम., Mala`s Fruit Products उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी संख्या- 8 व 9 की ओर से लिखित जवाब एवं Mala`s Fruit Products का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 16.4.2018, 14.5.2018, 11.6.2018 व 09.7.2018 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से Mala`s Fruit Products के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मेहराज अली उपस्थित हुये। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 06.8.2018 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से Mala`s Fruit Products के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौरव सक्सेना, टेकनिकल हेड, Mala`s Fruit Products उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 7 को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 4, 5 व 7 की ओर से ड़ाक के माध्यम से अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत हुये, लेकिन प्रतिवादी अभियुक्त संख्या- 4, 5 व 7 प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या- 6 भी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी अभियुक्त संख्या- 6 की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 4, 5 व 7 की ओर से प्रस्तुत अलग अलग लिखित जवाबों में यह अंकित किया गया है कि अपने कारोबार के अर्न्तगत मैनें पैक्ड खाद्य पदार्थ कंपनी Mala`s Fruit Products एवं अन्य कम्पनी से लेकर बेचता हूँ। कंपनी द्वारा लगाये गये लेबल से मेरा कोई संबंध नही है, इसलिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की कोलम 80 के तहत मुझे इस प्रकरण में दोषी ठहराना न्यायोचित नही होगा, इसलिये कार्यवाही समाप्त करावे।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 06.8.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 06.8.2018 को अभियुक्त संख्या 1 के अधिवक्ता दीपक बोडाना एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से Mala`s Fruit Products के प्रतिनिधि श्री गौरव सक्सेना, टेकनिकल हेड, Mala`s Fruit Products की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या- 1 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या- 2 तरुणदास, जो कि मैसर्स काम होटल्स लिमि. माउन्ट आबू में मैनेजर की हैसियत से नौकरी करता था ने उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल से किसी प्रकार की कोई छेडछाड नही की है तथा न ही कोई मिलावट की है। मूल कम्पनी पैक अवस्था

....पेज पांच पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रति० जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय सिरोही (राज०)

में उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया था एवं मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है। कम्पनी द्वारा लगाये गये लेबल से प्रतिवादी संख्या-1 का कोई लेना देना नही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या-1 पर कोई अपराध नही बनता है। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन निर्धारित एक वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत नही किया है एवं न ही न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाये जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करावे। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया जाकर मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही बेचान किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल से कोई छेडछाड नही की गई है तथा कम्पनी द्वारा लगाये गये लेबल से प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 का कोई लेना देना नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 का पालन नही किया है, अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 के विरुद्ध यह कार्यवाही समाप्त की जावे। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या- 8 व 9 के श्री गौरव सक्सेना, टेकनिकल हेड, Mala`s Fruit Products ने Mala`s Fruit Products की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन एक वर्ष की निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही किया है एवं न ही आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) द्वारा समयावधि बढाये जाने के पत्र/आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 का उल्लंघन किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 42(3) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 3.1 का भी उल्लंघन किया गया है। Mala`s Fruit Products के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौरव सक्सेना ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि Mala`s Fruit Products द्वारा Khus extract को अन्य निर्माता से क्रय कर उक्त Synthetic Syrup में उपयोग में लिया है, जिसके उपयोग की अनुमति खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.24 का प्रावधान प्रदान करता है, अतः Mala`s Fruit Products द्वारा लेबल पर सत्य तथ्य घोषित किये है कि उक्त उत्पाद में Artificial flavor मौजूद है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर Artificial flavor के नाम का उल्लेख नही होने से उक्त खाद्य उत्पाद को गुमराह करने वाला या मिथ्याछाप नही माना जा सकता है, क्योंकि निर्माता द्वारा विक्रय के फायदे के लिये उक्त उत्पाद Synthetic Syrup के निर्माण में इसके अलावा और कोई नही मिलाया है। बहस के दौरान Mala`s Fruit Products के अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी व्यक्त किया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक

....पेज छः पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.7.2018 को सभी राज्य को खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र जारी कर खाद्य उत्पादों के लबेल पर छोटी से लेबलिंग गलती के प्रकरणों में संबंधित खाद्य उत्पादक/निर्माता को गलती सुधार का अवसर देते हुए ऐसे प्रकरणों को वापस लिये जाने हेतु लिखा है। वैसे भी Mala`s Fruit Products द्वारा उक्त खाद्य उत्पाद की लेबलिंग में हुई छोटी सी त्रृटि में सुधार कर दिया है, इसलिये उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.7.2018 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कामा होटल्स लिमिटेड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म कामा होटल्स लिमिटेड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से तरुणदास पुत्र श्री अनिल दास, जाति- ईसाई, निवासी- मकान नं. जे 5 सी, रातानाडा, सुभाष कॉलोनी, जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम एवं खास जनता के लिये Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का उपयोग ग्राहक की मांग पर Preperation तैयार कराके ग्राहको को विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म कामा होटल्स लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान आम व खास जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मणराम, ए.एन.एम., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विकेता/मैनेजर तरुणदास को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा होटल के स्टोर की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की पैक्ड बोतलों में से Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 750 मि.ली.) खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर तरुणदास, उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-417, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता तरुणदास व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) के चारों खरीद शुदा नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को

....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-417 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता तरुणदास व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता तरुणदास व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि कामा होटल्स लिमिटेड, माउन्ट आबू में मैनेजर/खाद्यकारोबारकर्ता तरुणदास से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 4 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 750 मि.ली.) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 17.7.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच/विश्लेषण जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 17.7.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का नमूना संख्या S-417 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./563/Act/2015/560 दिनांक 27.7.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कामा होटल्स लिमिटेड, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर मैनेजर एवं खाद्यकारोबारकर्ता तरुणदास से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 27.7.2015 के अनुसार Sugar, Water, Khus extract 10% Cirtic acid E-330, Contains permitted synthetic food colour E-133, E-102 and added flavours Natural-Natural identical artificial flavouring sub-stance. Contains

....पेज आठ पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001·

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

permitted class II preservatives E-224 givan on the lable of sample but the common name of artificial flavouring sub-stance used in products not givan on the lable of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2(5)(ii) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक: एफएसएसए/2015/3959-60 दिनांक 04.8.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति श्री तरुणदास, जनरल मेनेजर, कामा होटल लिमिटेड, माउन्ट आबू तथा निर्माता फर्म Mala`s Fruit Products को पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:एफएसएसए/स.सी./2017/889 दिनांक 06.9.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत इस प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा को दिनांक 30.9.2017 तक विस्तारित किया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2017/22 दिनांक 25.9.2017 के द्वारा प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 25.9.2017 को प्रस्तुत किया गया है, जो विस्तारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि कामा होटल द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 मि.ली. की पैक्ड बोतलों को प्रतिवादी संख्या-4 की फर्म विनोद एजेन्सी, गोदाम नं. 228, गुजरात जिनिंग मिल, प्रेम दरवाजा, अहमदाबाद से बिल नम्बर 863 दिनांक 15.6.2015 के द्वारा क्रय की गई थी। प्रतिवादी संख्या-4 की फर्म विनोद एजेन्सी द्वारा Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 मि.ली. की पैक्ड बोतले जरिये वेट इनवोईस नं. 619 दिनांक 20.2.2015 के द्वारा प्रतिवादी संख्या-5 की फर्म जालाराम सेल्स एजेन्सी अमदाबाद से क्रय की गई थी। प्रतिवादी संख्या-5 की फर्म जालाराम सेल्स एजेन्सीन अहमदाबाद द्वारा Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 मि.ली. की पैक्ड बोतलों को टेक्स इनवोईस नं. GEN-500630 दिनांक 28.1.2015 के द्वारा प्रतिवादी संख्या-6 की फर्म समीर एजेन्सी से क्रय किया गया था। प्रतिवादी संख्या- 6 की फर्म समीर एजेन्सी द्वारा Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 मि.ली. की पैक्ड बोतलों को प्रतिवादी संख्या-7

.....पेज नौ पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

की फर्म परफेक्ट मार्केटींग से वेट इनवोईस नं. TI-1934 दिनांक 28.1.2015 के द्वारा क्रय किया गया था। प्रतिवादी संख्या-7 की फर्म परफेक्ट मार्केटींग द्वारा Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) की 750 मि.ली. की पैक्ड बोतलों को निर्माता कम्पनी Mala`s Fruit Products, Division:B-47, M.I.D.C. Wai, Tal. Wai-412803 Dist-Satara, Maharashtra से बिल नम्बर W/2084 दिनांक 23.1.2015 के द्वारा क्रय किया गया था। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Mala`s Fruit Products द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Syrup)(Mala`s Brand) के निर्माण व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म Mala`s Fruit Products दोषी पाई जाती है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 से 7 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म Mala`s Fruit Products, Division:B-47, M.I.D.C. Wai, Tal. Wai-412803 Dist-Satara, Maharashtra, Head Office: 25/1A, Bhose Village, Panchgani-4123805, Maharashtra पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता फर्म Mala`s Fruit Products के नामिंनी Vilash R. Jadtap, Mala`s Fruit Products, 25/1A, Bhose Village, Panchgani-412805, Maharashtra को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Mala`s Fruit Products पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)